राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0

'किसान मण्डी भवन' विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

पंत्राक : कं0से0/67(5)/2020–174 दिनांक 16/04/2020

समस्त सचिव/सभापति
मण्डी समितियॉ, उ0प्र0।

उत्तर प्रदेश शासन कृषि विभाग द्वारा जारी शासनादेश सं0–841/पी.एस.ए.जी./2020 दिनांक 12.04.2020 से प्रदेश में कृषि उत्पादक संगठन/कृषि उत्पाद कम्पनी द्वारा संग्रहित निर्दिष्ट कृषि उत्पाद के विपणन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है जिससे किसानों से कृषि उत्पाद एकत्रित कर डोर–स्टेप डिलवरी अथवा मोबाइल सेवा प्रदान करने की अनुमति दिये जाने के निर्देश है।

एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 को ई–नाम पोर्टल पर कारोबार की अनुमति दिये जाने सम्बन्धी कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 02.04.2020 पत्र सं0–22016/23/2017–M II (पार्ट) दिनांक 04.04.2020 से भी दिशा–निर्देश दिये गये है, इनके दृष्टिगत् निम्नलिखित दिशा–निर्देश जारी किये जाते है :–

1. मण्डी क्षेत्र में कार्यरत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 जो निदिष्ट कृषि उत्पादों का एकत्रीकरण एवं विपणन करना चाहते है वे अपनी लिखित सूचना सम्बन्धित मण्डी समितियों को उपलब्ध करायेगें। प्रदेश में कार्यरत एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 सूची संलग्न कर मण्डी समितियों को इस निर्देश के साथ उपलब्ध करायी जा रही है कि मण्डी समितियॉ अपने क्षेत्र के एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 से सम्पर्क कर लें।
2. एफ0पी0ओ0/एफ0पी0सी0 फॉर्म गेट पर भी उपलब्ध निर्दिष्ट कृषि उत्पाद का विपणन ई–नाम पोर्टल पर कर सकेगें।
3. उपरोक्तानुसार ई–नाम पोर्टल द्वारा जनित सेल एग्रीमेंट एवं Exit पास/गेटपास को मान्यता प्रदान करते हुए उन्हें गंतव्य स्थान पर जाने की अनुमति होगी।
4. उपरोक्त निर्देश के क्रम में विपणन गतिविधियों की जाँच मण्डी समिति के सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा सकेगी।

15.04.2020

(जितेन्द्र प्रताप सिंह)
मण्डी निदेशक

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मण्डी निदेशक को निदेशक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समस्त सं0 उपनिदेशक(प्र0/विप0)मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश।

मण्डी निदेशक